फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/5/2025	पुजावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वादी का वाद आर्डर 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जा चुका है। इसलिये C.I (अन्तरिम प्रार्थना पत्र) का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिये अन्तरिम प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पुजावली उपरान्त सुनाई होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाता।	

अपर खण्ड अधिकारी
माँझर लेख

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.07.23 13:05:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner